न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 01/2025 **दायर दिनांकः 10.01.2025**

उनवान

1. प्रवीण नागर आयु 30 वर्ष पुत्र ओमप्रकाश निवासी हरिपुरा
2. धर्मराज नागर आयु 38 वर्ष पुत्र ओमप्रकाश निवासी हरिपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

1. रुक्मणी बाई सरपंच ग्राम पंचायत किशनपुरा तह. अटरू जिला बारां (राज.)
2. दीपेन्द्र सिंह सचिव ग्राम पंचायत किशनपुरा तह. अटरू जिला बारां (राज.)

रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध नामान्तरण संख्या 295 दिनांक 08/10/2024 ग्राम पंचायत किशनपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज.)

उपस्थिति :—

अपीलान्ट :— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

रेस्पोडेन्ट :— विद्वान अभिभाषक श्री गौरव सिंह हाडा

निर्णय

दिनाकः 15.05.2025

अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट में अपील विरुद्ध नामान्तरण संख्या 295 दिनांक 08/10/2024 ग्राम पंचायत किशनपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज.) इस आशय की पेश की है कि प्रार्थीगण/अपीलान्टस ने दिनांक 30/08/2024 को विक्रेता अमरी बाई पुत्री रामप्रताप, जमना बाई पुत्री कस्तूरचन्द, नन्दकिशोर पुत्र कस्तूरचन्द, महावीर प्रसाद पुत्र कस्तूरचन्द, भगवानलाल पुत्र रतनलाल, शिवराज पुत्र रामगोपाल जातियान ब्राहमण निवासीगण चौथ्या मायथा तह. अटरू से वाके ग्राम/माल भवानीपुरा तह. अटरू में स्थित जमाबन्दी खाता संख्या 9 का खसरा न. 21/155 का रकबा 0.05 है0, खसरा न. 23/160 का रकबा 0.02 है0, खसरा न. 24 का रकबा 0.71 है0, खसरा न. 26/171 का रकबा 0.08 है0 कुल किता 4 का रकबा 0.86 हैक्टर में से विक्रेतागण के सम्पूर्ण हिस्से की आराजी को पांच लाख रूपये में क्रय किया था जिसका दिनांक 30/08/2024 को रसीद क्रमांक 202402618000349 से उप पंजीयक महोदय बडोरा के कार्यालय तह. अटरू में रूबरू गवाहान पंजीयन निष्पादित करवाया था। विक्रय पत्र की सत्यापित प्रति अपील के साथ संलग्न है। उक्त विक्रय पत्र के आधार

पर उप पंजीयक महोदय बडोरा द्वारा पटवारी हल्का को नामान्तरण दर्ज करने हेतु दस्तावेज प्रेषित किये जाने पर पटवारी हल्का ने नामान्तरण दर्ज कर तस्दीक हेतु ग्राम पंचायत किशनपुरा को भेजा। जिस पर रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलान्ट्स से राजनैतिक द्वेषता रखने के कारण बिना कोई वैध कारण बताये और बिना कोई सूचना दिये अपीलान्ट्स के पक्ष में खोले जाने वाले नामान्तरण को नामान्तरण संख्या 295 दिनांक 21/10/2024 से निरस्त फरमा दिया। नामान्तरण संख्या 295 दिनांक 21/10/2024 की प्रतिलिपि अपील के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। ग्राम पंचायत किशनपुरा का उक्त निर्णय विधि विरुद्ध एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विपरित होने से काबिल निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत किशनपुरा द्वारा यह भी गौर नहीं फरमाया गया कि प्रार्थीगण/अपीलान्टस ने दिनांक 30/08/2024 को आराजी को क्रय कर उसका पंजीयन उप पंजीयक महोदय बडोरा के कार्यालय में करवाया है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्थ होने योग्य है। अपील अवधि मध्य एवं उचित न्यायशुल्क पर पेश है तथा माननीय न्यायालय को अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।

अतः माननीय न्यायालय में अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत किशनपुरा के नामान्तरण संख्या 295 दिनांक 21/10/2024 से निरस्त किये गये निर्णय को खारिज कर विक्रय पत्र दिनांक 30/08/2024 के आधार पर अपीलान्टस के पक्ष में नामान्तरण दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेरपोडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेट क्रम 1 व 2 द्वारा जवाब अपील पेश कर कथन किया कि अपील की मद नं0 1 में वर्णित आराजी स्थित होना स्वीकार हैं। शेष विवरण अस्वीकार हैं। अपील की मद नं0 2 स्वीकार नही हैं। अपितु कथन है कि विशेष विवरण विशेष कथन मे दर्ज हैं। अपील की मद नं० 3 अस्वीकार हैं। अपील की मद नं0 4 अस्वीकार हैं। अपील की मद नं0 5 कानूनी हैं। अपील में चाहा गया अनुतोष अस्वीकार हैं।

विशेष कथन

अपील की मद नं0 1 में वर्णित आराजी माल भवानीपुरा पटवार क्षेत्र किशनपुरा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 9 के ख0नं0 21/155 रकबा 0.05 है०, ख0नं0 23/160 रकबा 0.02 है०, ख0नं0 24 रकबा 0.71 है०, ख०नं० 26/171 रकबा 0.08 है० कि ता 4 रकबा 0.86 है० आराजी महेन्द्र गौतम पुत्र परूषोतम गौतम जाति ब्राह्मण निवासी चोथ्या के कब्जे काश्त मे चली आ रही है जिसके खातेदारी घोषणा का एक वाद माननीय न्यायालय में विराधीन हैं। जिसके वाद

संख्या 133/2014 हैं। महेन्द्र गौतम द्वारा अपील मे वर्णित बैचान कर्ता के विरूद्ध जिला कलेक्टर महोदय बारां के यहा प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। तथा ग्राम वासियो द्वारा एक प्रार्थना ग्राम पंचायत में नामान्तकरण रोकने के लिए पेश किया था। जिसके आधार पर ग्राम पंचायत किशनपुरा में दिनांक 21.10.2024 को बेठक बुलाई गईं। जिसमे उक्त खसरा नम्बर विवादित होने की वजह से ग्राम पंचायत की प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 21.10.2024 को उक्त नामान्तकरण संख्या 295 को खारिज करने का निर्णय लेकर नामान्तकरण खारिज किया गया हैं।

अतः माननीय न्यायालय रेस्पोडेण्टस की ओर से अपील का जवाब पेश कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत किशनपुरा द्वारा विवादित आराजी होने की वजह नामान्तकरण संख्या 295 दिनांक 21.10.2024 निरस्त किया गया हैं। इसलिए अपीलाण्ट्स की अपील खारिज फरमाने की कृपा करें।

अपीलान्ट द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल नामान्तकरण संख्या 295 दिनांक 08.10.2025 ग्राम भवानीपुरा पटवार मण्डल किशनपुरा, नकल जमाबन्दी ग्राम भवानीपुरा पटवार मण्डल किशनपुरा खाता संख्या 9 सम्वत 2073–2076, प्रतिलिपि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रसीद संख्या 202402618000349 आदि पेश किये गये।

बहस अभिभाषक उभयपक्ष सूनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। अभिभाषक अपीलान्ट का कथन है कि ग्राम व माल भवानीपुरा पटवार मण्डल किशनपुरा की खाता संख्या 6 कुल किता 4 का रकबा 0.86 है0 आराजी में से जमना बाई पुत्री कस्तुरचन्द हिस्सा 1/15, महावीर प्रसाद दत्तक पुत्र धन्नालाल पुत्र कस्तुरचन्द हिस्सा 1/5 व 1/15, शिवराज पुत्र रामगोपाल हिस्सा 1/15, अमरी बाई पुत्री रामप्रताप हिस्सा 1/10, भगवानलाल पुत्र रतनलाल हिस्सा 1/20 व नन्दकिशोर पुत्र कस्तुरचन्द हिस्सा 1/15 जाति ब्राहम्ण सा0 चोथ्या खातेदार ने अपने हिस्से की आराजी अपीलान्ट को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बैचान कर दी थी। अपीलान्ट ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय पत्र के माध्यम नामान्तरण दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। पटवारी हल्का ने मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत में नामान्तरण स्वीकृत करने के लिए प्रस्तुत किया तो सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा राजनैतिक द्वेषता रखने के कारण बिना कोई वैध कारण बताये नामान्तकरण को निरस्त कर दिया।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त बहस का पूरजौर विरोध करते हुए कथन किया कि आराजी माल भवानीपुरा पटवार क्षेत्र किशनपुरा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 9

के ख0नं0 21/155 रकबा 0.05 है०, ख0नं0 23/160 रकबा 0.02 है०, ख0नं0 24 रकबा 0.71 है०, ख०नं० 26/171 रकबा 0.08 है० कि ता 4 रकबा 0.86 है० आराजी महेन्द्र गौतम पुत्र परूषोतम गौतम जाति ब्राह्मण निवासी चोथ्या के कब्जे काश्त मे चली आ रही है जिसके खातेदारी घोषणा का एक वाद माननीय न्यायालय में विराधीन हैं। जिसके वाद संख्या 133/2014 हैं। महेन्द्र गौतम द्वारा अपील मे वर्णित बैचान कर्ता के विरूद्ध जिला कलेक्टर महोदय बारां के यहा प्रार्थना पत्र पेश किया गया था तथा ग्राम वासियो द्वारा एक प्रार्थना ग्राम पंचायत में नामान्तकरण रोकने के लिए पेश किया था। जिसके आधार पर ग्राम पंचायत किशनपुरा में दिनांक 21.10.2024 को बेठक बुलाई गई। जिसमे उक्त खसरा नम्बर विवादित होने की वजह से ग्राम पंचायत की प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 21.10.2024 को उक्त नामान्तकरण संख्या 295 को खारिज करने का निर्णय लेकर नामान्तकरण खारिज किया गया हैं।

बहस अभिभाषकगण, पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट ने अपील में वर्णित कथनों के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र संख्या 202402618000349 पेश किया है जिसके अनुसार विक्रेता अमरी बाई पुत्री रामप्रताप, जमनाबाई पुत्री कस्तुरचन्द पत्नी रामेश्वर, नन्दकिशोर पुत्र कस्तुरचन्द, महावीर प्रसाद पुत्र कस्तुरचन्द दत्तक पुत्र धन्नालाल, भगवानलाल पुत्र रतनलाल व शिवराज पुत्र रामगोपाल जातिगण ब्राहम्ण निवासी चौथ्या तहसील अटरू जिला बारां द्वारा ग्राम व माल भवानीपुरा पटवार हल्का किशनपुरा के खाता संख्या 9 का ख0नं0 21/155 का रकबा 0.05 है0, ख0नं0 23/160 का रकबा 0.02 है0, ख0नं0 24 का रकबा 0.71 है0, ख0नं0 26/171 का रकबा 0.08 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 0.86 है0 आराजी में से अपना हिस्सा प्रवीण नागर व धर्मराज नागर पुत्रान ओमप्रकाश नागर जातिगण धाकड निवासी हरिपुरा तहसील अटरू जिला बारां को बेचान किया है।

प्रतिलिपि नामान्तकरण प्रविष्टि क्रम संख्या 295 दिनांक 08.10.2024 के अनुसार पटवारी द्वारा मुताबिक पंजिकृत विक्रय विलेख के अनुसार नामान्तकरण दर्ज कर वास्ते जांच एवं आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया तथा प्रस्तुत नामान्तकरण को बिना किसी कारण का अंकन किए अस्वीकार किया गया।

उक्त आधार पर अपीलान्ट द्वारा अपील में किए गए कथन साबित होते है। रेस्पोडेन्ट द्वारा किए गए विशेष कथन के पक्ष में कोई दस्तावेज पेश नही किया गया। इस आधार पर रेस्पोडेन्ट अपने कथनों को साबित करने में असफल रहे है।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार अटरू को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार जांच कर पुनः नामान्तकरण दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां